

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 152

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02287

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "इन्द्रलोक सिटी", प्रमोटर-न्यू हैण्ड्स ग्रुप, खैरागढ़, द्वारा-
श्री प्रमोद कुमार सलेचा जैन, पता-गोल बाजार, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव
प्रोजेक्ट-"इन्द्रलोक सिटी" पता-जिला-खैरागढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
08/05/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "इन्द्रलोक सिटी" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA280818000728 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 28.08.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 02.05.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 01.12.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 26.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 15.02.2023 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी नगरीय निकाय से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने दिनांक 12.04.2017 अर्थात् प्रोजेक्ट अवधि कालातीत होने के पूर्व ही आवेदन कर दिया गया थ, किन्तु पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 152

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02287

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "इन्द्रलोक सिटी", प्रमोटर-न्यू हैण्ड्स ग्रुप, खैरागढ़, द्वारा-
श्री प्रमोद कुमार सलेचा जैन, पता-गोल बाजार, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव
प्रोजेक्ट-"इन्द्रलोक सिटी" पता-जिला-खैरागढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>15.02.2023 को प्राप्त हुआ, अस्तु संप्रवर्तक की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	